(अपील संख्या एस–11–ए–0293/2024)

सुश्री रेणु बनाम ज0सू0अ0, कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–बुलन्दशहर।

समक्ष–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

कारण बताओ नोटिस

धारा 6(1)	मांगी गई सूचना/अनुतोष
28.09.2023	इस प्रकरण में अपीलार्थी ने राशनकार्ड सं0–114240116821 के निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई हैं। जनसूचना अधिकारी ने अभी तक सूचना नहीं उपलब्ध कराई है।

उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। प्रश्नगत मामले में गत दिनांक 29.04.2025 को जनसूचना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, गुलावठी, जनपद–बुलन्दशहर को **अन्तिम अवसर** प्रदान करते हुए अपेक्षा की गई थी कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराते हुए अनुपालन आख्या आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

इस प्रकरण में अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 28.09.2023 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गुलावठी, जनपद–बुलन्दशहर से सूचना मांगी थी और प्रकरण में क्रमशः दिनांक 30.12.2024, 03.02.2025, 17.03.2025 एवं 29.04.2025 को नोटिस निर्गत किए जाने के बावजूद आज सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी न तो उपस्थित हैं और न ही उनका कोई लिखित अभिकथन पत्रावली पर उपलब्ध है।

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा–7(1) के अन्तर्गत 30 दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। प्रकरण में लगभग एक वर्ष आठ माह का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अभी तक अपीलार्थी को सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनसूचना अधिकारी सूचनाएं नहीं देने के दोषी हैं और उनके द्वारा ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के कियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है। प्रकरण में नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया जाना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner